

20/9/16

प्रार्थीगण की ओर से 01/09/16
पत्र अधिवक्ता श्री सुधीर चौधरी के
विरुद्ध अप्रार्थीगण सरहद (गौजा)
(10) तक के अन्तर्गत धारा 212, 210
RTI Act 1987 में पत्र आदिम
धिया। जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी
के नाम नोटिस जारी हो। नोटिस
के साथ प्रार्थना पत्र की नकल
शेरी जावे। पत्रावली आदि
दिनांक 21/9/16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

राजस्व विविध सं. 57/2010 कानिलात गीरा वनाम. राजस्थान सरकार गीरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, 210 आर.टी.एक्ट, 1987

दिनांक 21.09.2016

प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं.01 तहसीलदार
सुमेरपुर उपस्थित।

हमने, पक्षकारों की बहस दलील को सुना, साथ
ही इस पत्रावली एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली का
अवलोकन व परीक्षण किया। कथित प्रकरण की
वाद-विषयक स्थिति अनुसार सरहद गौजा तखतगढ,
तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसारा नं.
762/1006 रकबा 0.23 हेक्टर किरम गै.मु.पायतान में
से रकबा 14 वर्गगज भूमि, जिस पर प्रार्थीगण
(वादीगण) ने 50 साल पुराना कब्जा होने के आधार
पर प्रतिकूल कब्जा सिद्धान्त के तहत अप्रार्थीगण
(प्रतिवादीगण) के विरुद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत

लगातार-

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

हुपम
कार्यालय

हुपम सा कार्यावाही मय इतिशिमन्त्रा सभ

हुपम मामील
नंबर न
साकेस

संश्लेष विधि नं ४७/२०१६ कतिवात मीम प्रमाण संश्लेष मरकात मीम
प्राधीना मय अप्पगत सभ २१२, २१० आर ही मय, १९९६

अतः संश्लेषित निष्लेपण एव निगेधित मय्यां के
परिणामतः संश्लेष मीमा मयतमके, महशील सुमिरपुर
में स्थित चावमस्त भूमि संश्लेष नं ७६२/१००६ संख्या
०.२३ हेक्टर किरम मी, मुपायतान में से संख्या १४
वर्गमज भूमि चावत प्राधीमण का यह प्राधीना मय
विस्तृत अप्राधीमण के कतिपय प्राकधानों के महत
अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का प्रथम वृष्ट्या ही चलने
योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे संश्लेष
खारिज किया जाता है।

यह आदेश बसेज आज दिनांक २१.०९.२०१६ को
विवृत न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में
सुमार होकर नंबर से कम हो एव संबंधित मूल चाव
पत्रावली के साथ नत्थी की जावे।



उपसिंह अधिकारी
सुपेपर, जिला-सोनी